कार्यालय, प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, गुमला।

(नजारत शाखा)

<u>नीलामी सूचना</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला स्तरीय नीलामी समिति के द्वारा व्यवहार न्यायालय, गुमला की कुल 08 (आठ) निष्प्रायोजित वाहनों की नीलामी का निर्णय लिया गया है। नीलामी योग्य वाहनों की विवरणी निम्नप्रकार है–

क0	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	वाहन का न्यूनतम आरक्षित मूल्य
1.	**BR41 2584**	AMBASSDOR CAR	**30,000.00**
2	**BR41 3397**	AMBASSDOR CAR	**30,000.00**
3	**BR41 2941**	AMBASSDOR CAR	**33,000.00**
4	**BEN 7144**	AMBASSDOR CAR	**30,000.00**
5	**JH07C 6341**	AMBASSDOR CAR	**33,000.00**
6	**JH07D 5381**	AMBASSDOR CAR	**50,000.00**
7	**JH07C 5127**	AMBASSDOR CAR	**43,000.00**
8	**JH07D 4221**	INDIGO CS CAR	**70,000.00**

व्यवहार न्यायालय, गुमला की उक्त वाहन को भौतिक रुप से देखे जाने हेतु व्यवहार न्यायालय, कार्यालय नाजीर से कार्यालय कार्य अवधि के बीच सम्पर्क कर देखा जा सकता है।

वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना व्यवहार न्यायालय के नजारत शाखा से प्राप्त की जा सकती है। उक्त **<u>वाहन की नीलामी जिला स्तरीय नीलामी समिति द्वारा दिनांक 02.07.2024 को समय–03.00 बजे अपराह्न में स्थानीय नगर भवन, गुमला</u>** में किया जायेगा। नीलामी में भाग लेने वाले आम जनों को निम्नलिखित शर्त्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

1. नीलामी से पूर्व डाकवक्ता को जिस भी वाहन के लिये डाक में भाग लेना हो वैसे वाहनो का निबंधन संख्या अंकित करते हुये एक आवेदन करना होगा, जिसके साथ उनका पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रति एवं प्रत्येक वाहन के लिये 5000.00 (पांच हजार) रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम से प्रतिभूति राशि के रुप में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे नीलामी में भाग नही ले सकेगें। नीलामी के बाद असफल डाकवक्ता को प्रतिभूति राशि वापस की जायेगी तथा सफल डाकवक्ता के डाक राशि को समायोजित कर ली जायेगी। सफल डाकवक्ता को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का अग्रधन/डाक राशि वापस कर दी जायेगी। नीलामी उपरांत नीलाम हुये वाहन को डाकवक्ता के द्वारा स्वयं के खर्च पर वाहन को ले जाना होगा एवं किसी भी प्रकार का परिवहन व्यय इसके निमित्त देय नही होगा।

2. नीलामी की तिथि को समिति के अध्यक्ष द्वारा रद्द किया जा सकता है। इसके लिये किसी भी प्रकार की कोई अपील नही की जा सकती है या मुआवजा की मांग नही की जा सकती है।

3. नीलामी का आधार **जो वाहन जहां है जैसा है**, भौतिक रुप से उपलब्ध वाहन की स्थिति या वाहन का कागजात जिस भी स्थिति में होगा, उसी रुप में देय होगा। इसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दावा नही किया जा सकेगा।

4. प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, गुमला के द्वारा सफल केता/निविदाकर्त्ता के नाम से वाहन का निबंधन कराने के निमित्त मात्र नीलाम कर दिये जाने का अधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा एवं वाहनों को सभी अधिभार से मुक्त **(free from any encumbrances)** मानते हुये नीलामी की जायेगी।

5. उच्चतम डाकवक्ता अगर एक सप्ताह के अंदर सम्पूर्ण नीलामी डाक राशि को जमा नही करते हैं, तो प्रतिभूति राशि के रुप में जमा राशि को जप्त कर ली जायेगी।

6. वाहन नीलामी के लिये दिनांक 31.06..2024 तक व्यवहार न्यायालय, गुमला मे कार्यालय नाजीर के पास आवेदन समर्पित किया जा सकता है जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति को सादे पन्ने में आवेदन सहित अपना आधार कार्ड अथवा अन्य पहचान पत्र जमा कराते हुये वाहन का अग्रधन राशि का डी0डी0/नाजीर रसीद प्राप्त कर आवेदन करेगें, अन्यथा बिना नाजीर रसीद एवं उचित पहचान पत्र के आभाव में वे नीलामी में भाग नही ले सकेगे।

7. अध्यक्ष एवं नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा नीलामी रद्द करने या नीलामी की तिथि में फेरबदल करने के निर्णय लेने हेतु पूर्ण रुप से सक्षम होगें, उनके द्वारा लिये गये निर्णय को किसी भी स्थिति में चुनौती नही दी जा सकेगी।

1/8/24

प्रभारी न्यायाधीश,
व्यवहार न्यायालय, गुमला।

दैनिक भास्कर दिनांक 15/6/2024

Seen
Judge-in-charge
Gumla

कार्यालय, प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, गुमला
(नजारत शाखा)

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला स्तरीय नीलामी समिति के द्वारा व्यवहार न्यायालय, गुमला की कुल 08 (आठ) निश्प्रायोजित वाहनों की नीलामी का निर्णय लिया गया है। नीलामी योग्य वाहनों की विवरणी निम्नप्रकार हैं—

क्र0	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	वाहन का न्यूनतम आरक्षित मूल्य
1.	BR41 2584	AMBASSDOR CAR	30,000.00
2	BR41 3397	AMBASSDOR CAR	30,000.00
3	BR41 2941	AMBASSDOR CAR	33,000.00
4	BEN 7144	AMBASSDOR CAR	30,000.00
5	JH07C 6341	AMBASSDOR CAR	33,000.00
6	JH07D 5381	AMBASSDOR CAR	50,000.00
7	JH07C 5127	AMBASSDOR CAR	43,000.00
8	JH07D 4221	INDIGO CS CAR	70,000.00

व्यवहार न्यायालय, गुमला की उक्त वाहन को भौतिक रुप से देखे जाने हेतु व्यवहार न्यायालय, कार्यालय नाजीर से कार्यालय कार्य अवधि के बीच सम्पर्क कर देखा जा सकता है।

वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना व्यवहार न्यायालय के नजारत शाखा से प्राप्त की जा सकती है। उक्त **वाहन की नीलामी जिला स्तरीय नीलामी समिति द्वारा दिनांक 02.07.2024 को समय–03.00 बजे अपराहन में स्थानीय नगर भवन, गुमला** में किया जायेगा। नीलामी में भाग लेने वाले आम जनों को निम्नलिखित शर्त्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

1. नीलामी से पूर्व डाकवक्ता को जिस भी वाहन के लिये डाक में भाग लेना हो वैसे वाहनो का निबंधन संख्या अंकित करते हुये एक आवेदन करना होगा, जिसके साथ उनका पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रति एवं प्रत्येक वाहन के लिये 5000.00 (पांच हजार) रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम से प्रतिभूति राशि के रुप में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे नीलामी में भाग नही ले सकेगें। नीलामी के बाद असफल डाकवक्ता को प्रतिभूति राशि वापस की जायेगी तथा सफल डाकवक्ता के डाक राशि को समायोजित कर ली जायेगी। सफल डाकवक्ता को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का अग्रधन/डाक राशि वापस कर दी जायेगी। नीलामी उपरांत नीलाम हुये वाहन को डाकवक्ता के द्वारा स्वयं के खर्च पर वाहन को ले जाना होगा एवं किसी भी प्रकार का परिवहन व्यय इसके निमित्त देय नहीं होगा।
2. नीलामी की तिथि को समिति के अध्यक्ष द्वारा रद्द किया जा सकता है। इसके लिये किसी भी प्रकार की कोई अपील नही की जा सकती है या मुआवजा की मांग नही की जा सकती है।
3. नीलामी का आधार **जो वाहन जहां है जैसा है**, भौतिक रुप से उपलब्ध वाहन की स्थिति या वाहन का कागजात जिस भी स्थिति में होगा, उसी रुप में देय होगा। इसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।
4. प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, गुमला के द्वारा सफल क्रेता/निविदाकर्त्ता के नाम से वाहन का निबंधन कराने के निमित्त मात्र नीलाम कर दिये जाने का अधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा एवं वाहनों को सभी अधिभार से मुक्त (free from any encumbrances) मानते हुये नीलामी की जायेगी।
5. उच्चतम डाकवक्ता अगर एक सप्ताह के अंदर सम्पूर्ण नीलामी डाक राशि को जमा नही करते हैं, तो प्रतिभूति राशि के रुप में जमा राशि को जप्त कर ली जायेगी।
6. वाहन नीलामी के लिये दिनांक 31.06..2024 तक व्यवहार न्यायालय, गुमला मे कार्यालय नाजीर के पास आवेदन समर्पित किया जा सकता है जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति को सादे पन्ने में आवेदन सहित अपना आधार कार्ड अथवा अन्य पहचान पत्र जमा कराते हुये वाहन का अग्रधन राशि का डी0डी0/नाजीर रसीद प्राप्त कर आवेदन करेगें, अन्यथा बिना नाजीर रसीद एवं उचित पहचान पत्र के आभाव में वे नीलामी में भाग नही ले सकेगे।
7. अध्यक्ष एवं नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा नीलामी रद्द करने या नीलामी की तिथि में फेरबदल करने के निर्णय लेने हेतु पूर्ण रुप से सक्षम होगें, उनके द्वारा लिये गये निर्णय को किसी भी स्थिति में चुनौती नही दी जा सकेगी।

प्रभारी न्यायाधीश,
व्यवहार न्यायालय, गुमला

PR 326268 Law(24-25)#D

दैनिक भास्कर, 15/6/24